Vol 6 Issue 1 July 2016 ISSN No :2231-5063

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Welcome to GRT

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2231-5063**

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Dr. T. Manichander

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.aygrt.isrj.org

ISSN: 2231-5063 Impact Factor : 4.6052(UIF) Volume - 6 | Issue - 1 | July - 2016

Golden Research Thoughts
International Recognition Multidisciplinary Research Journal
RNI : MAHMUL/2011/38887
ISSN No: 2231-5063
Impact Factor 2.2052 (UIF) [Yr. 2014]
3.4052 (UIF) [Yr. 2015]
4.6052 (UIF) [Yr. 2016]

GRT Golden Research Thoughts

मानवाधिकार और मीडियाः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. केदार नाथ
M.A. (Eng.), Dip. In Photography , Ph-D. (Journalism & Mass Communication) .

सारांश

तकनीक और संचार साधनों में पिछले 20 वर्षो में जो क्रान्तिकारी बदलाव आये हैं, उन्होंने मीडिया के सभी स्वरूपों में आमूल–चूल बदलाव ला दिया है। लोग मानवाधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं, तथा मानवाधिकारों के मुद्दों के प्रति ज्यादा से ज्यादा मुखर रूप से सामने आने लगे हैं। हालाकि मानवाधिकारों के हनन् के विषय भी उसी अनुपात में बढ़ता जा रहा है। इन सबके बावजूद रोज नये–नये चुनौतीपूर्ण मामले नई चुनौतियों के रूप में

सामने आ रही हैं। पूर्व में जो मामले दबा दिये जाते थे, वो सभी मामले अब मीडिया की मदद से समाज के समक्ष आ रहे हैं। उदाहरण के लिए दुष्कर्म के मामले पहले यदा–कदा प्रकाश में आते थे, लेकिन अब लोगों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता और मीडिया का सहयोग होने से सभी कहीं न कहीं दिख जाते है। परिणामस्वरूप समाज, प्रशासनिक इकाई, नीतिनियामक इकाइयों के संज्ञान में मानवाधिकार हनन् के सभीविषय लोगों के सामने आ रहे हैं।

मुख्य शब्द : मीडिया, मानवाधिकार, तकनीक, संचार साधन, समाज आदिं।

प्रस्तावना

सूचना बिस्फोट के इस समय में मीडिया शक्तिशाली हो गई है, और इस प्रासंगिकता भरे यात्रा में मानवाधिकारों के बारे में खूब जोर शोर से लोगों को बताया जा रहा है। इन सूचनाओं ने मानवाधिकारों के बारे में आम जनता को जागरूक करना शुरू कर दिया है।

प्रस्तुत शोध पत्र में मीडिया की भूमिका का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। मीडिया का एक अंग समाचार पत्रों में प्रकाशित मानवाधिकार की खबरों को आधार बनाया गया है।

चूंकि मानव जाति के समक्ष सबसे बड़ी समस्या सम्मान पूर्वक जीवन यापन की है। प्रत्येक कदम पर व तिरस्कृत, अपमानित, असुरक्षित और उत्पीड़ित महसूस कर रहा है। मानव समुदाय आज जितना उत्पीड़ित हो रहा है, उतना पहले कभी नहीं था। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए आज मीडिया की भूमिका मानवाधिकारों के प्रति महत्वपूर्ण हो गई हैं।

स्वतंत्रता मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। समाज का कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण अकारण नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता का यह अधिकार मानव को इस धरा पर अवतरण के साथ ही प्राप्त हो जाता है और उसकी मृत्यु तक कुछ प्रतिबन्धों के अधीन निर्बाध गति तक चलता रहता है।

मानव प्रकृति के प्राणियों में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ संरचना (कृति) है। परन्तु मानव धरा पर अवतरित होने के बाद अपने विचार, कर्म आदि के आधार पर दूसरों से श्रेष्ठ दिखने की होड़ में तथा समाज में अपना विशिष्ट स्थान दिखाने की होड़ में दूसरों के अधिकारों का

निःसंकोच हनन करता चला आ रहा है।

ज्ञातव्य है कि 20वीं शताब्दी अब तक की सर्वाधिक हिंसात्मक शताब्दी रही है, जिसमें अनेक संघर्ष, विप्लव, क्रान्तियाँ एवं दोनों विश्वयुद्धों ने मानव की अस्मिता को धू–धूसरित किया है वहीं दूसरी ओर इस शताब्दी के उत्तरार्द्ध में विशेष रूप से 1948 से लेकर नयी सहस्त्राब्दि के प्रारम्भ में, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के लिए मानक निर्धारण का युग रहा है। समसामयिक परिस्थितियों में उन मानकों को अपनाने की चुनौती से समूचा विश्व जूझ रहा है। इन मानकों की विश्वव्यापकता या सार्वभौमिकता पर जो पूर्व सहमति थी, उसके ऊपर भी मतभेद या असहमति के बादल मँडराने लगे हैं।

मानवाधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राष्ट्रों की सहभागिता के अलावा गैर–सरकारी संगठनों के बढ़ते योगदान ने मानवाधिकारों की चैतन्यता को बढ़ाया है और उसे जनान्दोलन का रूप दे दिया है। इस प्रकार के मानवाधिकारोन्मुखी आंदोलनों में उत्तर–दक्षिण, पश्चिम–पूरब सभी क्षेत्रों के देशों की सहभागिता अपेक्षित है। जहाँ तक भारतीय सभ्यता का प्रश्न है, सदियों से इसमें मानवीय गरिमा व सम्मान के रूप में मानवाधिकारों का 'हीर' समाया हुआ है। पाश्चात्य देशों को समझना चाहिए यह 'वैश्विक नवोन्मेष' का काल है, अपने पराये का भाव त्याग कर मानवाधिकारों को नया फलक प्रदान करना है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की 26जून, 1945ई0 को हस्ताक्षरित घोषणा मानवाधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर स्वीकृति की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहाँ से एकजुट होकर संसार के सभी व्यक्ति मानवीय गरिमा समानता एवं विश्व बन्धुत्व की दिशा में एक होकर मिलकर कार्य करने का संकल्प लेते हैं।[1]

मानवाधिकारों की संयुक्त राष्ट्र की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद–19 के अनुसार ''सभी को अपनी राय बनाने व व्यक्त करने का अधिकार है। इसमें बिना बाधा डाले राय कायम करना सम्मिलित है तथा पाने, खोजने तथा किसी भी मीडिया के माध्यम से सूचना प्रदान करने व विचारों को पहुँचाने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तथा बिना किसी सीमाओं के भी।''[2]

मानवाधिकारों की सर्वव्यापक संकल्पना और सांस्कृतिक सापेक्षवाद के मध्य विवाद मुख्यतः इस विषय पर है कि कौन इसे परिभाषित, लागू और स्पष्ट करेगा और इस संदर्भ में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। मानव अधिकार की परिकल्पना ''बहुजन हिताय बहुजन सुखाय'' के शाश्वत सिद्धान्त पर आधारित होना चाहिए और यह कैसे स्थापित होगा, इसे मीडिया को परिभाषित करना होगा।[3]

जस्टिस ए.एम.अहमदी ने भा.जी.बी. निगम बनाम जगमहोन डी.शाह (1992) 3 SCC 637 पृष्ठ 650-651 में कहा था कि ''अपनी बात व विचार की अभिव्यक्ति किसी भी संस्था की जीवनधारा है और इसमें बाधा डालना, गला दबाना, चुप कराना प्रजातंत्र के लिए मृत्यु का फंदा सिद्ध होगी। आधुनिक संचार माध्यम घटनाओं की पूरी सूचना देकर जनहित को अग्रसित करते हैं।यह रोल जनतंत्र की प्रगति हेतु अति आवश्यक है। अतः समाचारों एवं विचारों को जनता हेतु प्रसारित करना व उनके वाचन हेतु प्रस्तुत करना अति आवश्यक है और इसके रास्ते में जो भी बाधायें आयें, उन पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है, जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) का दुरूपयोग न हो रहा हो।''[4,5]

मानवीय उच्चतम न्यायालय ने एस.जी. गुप्ता बनाम भारत सरकार 1981(Supp. Sec. 87) में भी इस बात पर बल दिया था कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रजातंत्र में मूल मंत्र है, सरकार में खुलापन होना उसी अधिकार का हिस्सा है तथा अनु. 19(1)(9) संविधान में अन्तर्निहित विचारों की अभिव्यक्ति से ही जानकारी का अधिकार भी सम्मिलित है।[6]

न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती तथा डॉ लक्ष्मी मल्ल सिंधवी ने भी अपने वक्तव्यों में यह प्रकट किया है कि प्रेस व मीडिया ने मानवाधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान किया है। न्यायमूर्ति पी.एप. भगवती ने प्रजातंत्र में सूचना के अधिकार को तीन प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण बताया था। प्रथमप्रजातांत्रिक सरकार को दिन–प्रतिदिन के कामों में जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। द्वितीय यह कि जनता का जानने का अधिकार सरकार में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, जिससे भ्रष्टाचार व निरंकुशता पर नियंत्रण होता है। तृतीय यह कि प्रजातंत्र में शक्ति जनता के हाथ में अन्तर्निहित होती है। सूचना का अधिकार जन शक्ति का मूल स्रोत है, इससे राज्य के कार्यों में उनकी भागीदारी बढ़ती है।[7]

थामस मैकाले ने प्रेस को सरकार का चौथा स्तंभ (फोर्थ इस्टेट) कहकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी। प्रख्यात विधिशास्त्रियों, अदालतों तथा मीडिया के आलोचकों ने भी मीडिया को जनता का प्रमुख प्रतिनिधि या ट्रस्टी या सरोगेट (Surrogate) माना है। किसी भी प्रजातंत्र में स्वतंत्र उसकी उपस्थिति का प्रमुख आधार स्तंभ है।[8]

आज समाज के 80 प्रतिशत लोगों तक किसी न किसी रूप में मीडिया की पहुँच है, चाहे यह टी.वी., रेडियो, समाचार पत्र या अन्य किसी माध्यम से हो। चौथा इस्टेट यानि मीडिया का जनता की राय बनाने/तैयार करने में महत्वपूर्ण स्थान है। मीडिया के माध्यम से मानव अधिकार अभियान को एक सकारात्मक दिशा दी जा सकती है।

आज के प्रगतिशील समाज में मीडिया की घर–घर तक पहुँच होने के कारण नयी क्रान्ति का सूत्रपात हो गया है।

मानवाधिकारों का इनके माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा सकता है। लेखकों, रंगमंच निर्देशकों, साहित्यकारों, शिक्षाविदों, फिल्म निर्माताओं, सीरियल निर्देशकों के माध्यम से मानवाधिकारों को जन–जन तक पहुँचाया जा सकता है। वर्तमान युग में प्रकाशन तथा संचार से आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक अधिकारों की समुचित अभिव्यक्ति द्वारा एक सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा की जा सकती है।

मानव अधिकार ऐसे विचार हैं, आदर्श हैं, जिसमें स्वतंत्र प्रजातंत्र का विकास होता है। यह बात मीडिया को जनसामान्य में प्रसारित करना चाहिए। इसके ऐसे सकारात्मक प्रयोग की आवश्यकता है जिससे इन महान आदर्शों का सभी को ज्ञान हो सके। इससे समाज में जीवन के आदर्श तथा जीवन के गुणों का विकास होगा। जब तक सभी लोगों में यह भावना नहीं आ जाती कि सभी मानव के अधिकारों को उन्हें सभी जगह अपनाना ही है तथा उनकी भरपूर रक्षा करनी है तब तक यह एक स्वप्न मात्र ही रह जायेंगे और इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य मीडिया ही कर सकती है।

मानवाधिकारों की प्रतिरक्षा में प्रभावशाली सरकार निष्पक्ष न्याय प्रणाली, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवेदनशील नागरिक तथा स्वस्थ

जनमत की भी विशेष भूमिका है। प्रगतिशील तथा जागृत संसार माध्यम का प्रजातांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य है–
1. जनता की भावनाओं को सम्पन्न तथा उनको अभिव्यक्ति प्रदान करना।
2. समाज में राष्ट्रीय एकता, बन्धुत्व निष्पेक्षता, मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता एवं समानता की भावनाओं का निर्माण तथा संवर्धन करना।
3. देश प्रेम, राष्ट्रीयता, विकास कार्यों में सहभागिता को प्रेरित करना।
4. नागरिक के रूप में अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान करना।
5. राष्ट्र की जटिल समस्याओं का निदान ढूँढ़ने के लिये जनमत को प्रशस्त करना।
6. मानव अधिकारों की प्रतिरक्षा हेतु अधिकारों के हनन को निर्भीकता के साथ उजागर करना तथा राजतंत्र, पुलिस तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अथवा आतंकवादियों के मानव अधिकारों के हनन को जनता के सामने निर्भीकता के साथ साहसपूर्वक प्रस्तुत करना।

मानवाधिकारों का प्रश्न समस्त मानवता से जुड़ा हुआ है। किसी समाज, राष्ट्र अथवा समुदाय विशेष से नहीं लेकिन मानवाधिकार को आज अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति में शामिल कर लिया गया है। किस मुद्दे को हवा देनी है, किसे नहीं, इसे मीडिया द्वारा कूटनीतिक दृष्टि से तय किया जाता है। विकसित देश विकासशील देशों पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए उन देशों की छोटी–छोटी घटनाओं को अपने मीडिया के माध्यम से बढ़ा–चढ़ा कर पेश करते हैं और फिर कूटनीतिक, राजनीतिक हस्तक्षेप करके अपनी प्रभुता उस राष्ट्र पर थोप देते हैं।

देश के अन्दर भी मीडिया दोहरी भूमिका अदा करती है। पुलिस व प्रशासनिक अंगों पर अपना दबाव व वर्चस्व बनाने के लिए मीडिया छोटी–छोटी घटनाओं को बढ़ा–चढ़ा कर पेश करती है और बड़ी–बड़ी घटनाओं को पचा लेती है। कश्मीर समस्या इसका ज्वलंत उदाहरण है। जहाँ एक तरफ तो भाड़े के पाकिस्तानी उग्रवादियों के मानवाधिकारों के हनन का शोर मीडिया द्वारा किया जाता है वहीं दूसरी ओर सैकड़ों निर्दोष नागरिकों को जीवन, सम्पत्ति एवं घरबार से वंचित होना पड़ता है। यहीं मीडिया को संतुलन बनाना होगा और किसके मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा बनाया जाय, इसका जवाब ढूँढ़ना होगा। कश्मीर के प्रकरण में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने मीडिया की विवादस्पद भूमिका की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन के लिए सुरक्षा बलों से अधिक आतंकवादी जिम्मेदार हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की भूमिका पर मीडिया में अधिक शोर शराबा हुआ।

न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचेलैया ने मीडिया की भूमिका पर उसको आगाह करते हुए कहा था कि ''पूरा विश्व आपको देख रहा है। मानवाधिकार संस्थाओं की निगाहें आप पर हैं। आप आक्षेपों का निराकरण एवं खण्डन क्यों नहीं करते?''[9]

मीडिया को यह अधिकार है तथा विरोधी मीडिया की यह ड्यूटी है कि वह सभी संवैधानिक साधनों से सरकार को गिरा सकती है (विनोद राव बनाम मिनोचा रूस्तम, बम्बई, LR 125)[10] वास्तविक प्रजातंत्र का विकास स्वतंत्र विचारों के आदान–प्रदान, प्रतिस्पर्धात्मक विचारधारा के विकास पर ही निर्भर है। इस कार्य में मीडिया का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मीडिया द्वारा किसी भी वास्तविक आलोचना के विरोध को रोकना जरूरी है। जनता किसी सूचना में रूचि रखे या न रखे, पर एक बार सूचना के प्रसारण पर उसे किनारे पर लाना जरूरी है। मानवाधिकारों के बारे में भी जिम्मा निभाया ही है। यह आवश्यक है कि सभी पक्षों में समरूपता (Balance) हो और कार्य जिम्मेदारी पूर्वक निभाया जाय।[11]

मानवाधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ बेल्जियम के बेलर गलेज ने कहा था कि ''जनता के विषय, जन–सम्बन्ध और जन वाद–विवाद एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, गतिविधि है। इसे तोड़ा या मरोड़ा नहीं जा सकता। चाहे बीच–बीच में ही प्रचार किया जाय, पर लोग अपने निकालते ही हैं। सूचना से शिक्षा का विस्तार होता है और इस प्रक्रिया में अच्छा कार्य करने के लिए लोग प्रेरित होते हैं।''[12]

मीडिया ने कई मानवाधिकार हनन के गम्भीर प्रकरणों को जुझारूपन से उठाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जिससे सरकार की नींद भी टूटी और लोगों को न्याय भी मिला। देह व्यापार में लिप्त माफियाओं, बालिकाओं का व्यापार करने वाले लोगों, बाल श्रम का खुल्लम–खुल्ला उपयोग करने वाले कालीन व आतिशबाजी संगठनों, बन्धुआ मजदूरी के गम्भीर मामलों को उठाकर मीडिया ने जनता व सरकार को झकझोर दिया, जिससे कई नए प्राविधानों का सृजन तो हुआ ही, अपराध पर अंकुश भी लगा। कई देशों में निरीह जनता पर किए जा रहे भीषण अत्याचारों की दास्तां, अबूगरेब जेल में इराकी कैदियों पर अमेरिकी सैनिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचार, कुवैती शेखों द्वारा दक्षिण भारत में छोटी उम्र की लड़कियों से धन देकर निकाह कर उनका शारीरिक शोषण, कश्मीरी व तिब्बती विस्थापितों की समस्या, बाल वेश्यावृत्ति आदि प्रकरणों को जनता तक उछाल कर न्याय दिलाने में मीडिया ने महती भूमिका अदा की। मीडिया ने ऐसे और कई विषयों पर गहन अन्तर्दृष्टि डाली जो मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित थे, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में किए जा रहे जातीय भेदभाव, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आदि।[13] इससे जनमानस उद्वेलित हुआ और ऐसी अपसंस्कृति में कमी आयी।

आज मीडिया में आपसी प्रतिद्वंदिता बढ़ गयी है। मीडिया भी किसी न किसी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़ गया है। वह सबसे तेज, सबसे आगे, पहले के चक्कर में एक्सक्लूसिव, सनसनीखेज रहस्योद्घाटन प्रस्तुत करने के प्रयास में किसी घटना की बारीकी से छानबीन नहीं करता, बल्कि उसे तुरन्त ही मानवाधिकार हनन मान कर उछाल देता है, जिससे जनमानस में उत्तेजना तो फैलती है, पर सच्चाई के अभाव में मानवाधिकारों पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती। अतः मीडिया युद्ध व आक्रमण के प्रति जनता तथा मीडिया दोनों को सचेत रहना होगा। बिना जाँचे–परखे किसी विषय को उठाने से समाज में संदेश तो जाता ही है, मीडिया की विश्वस्नीयता भी प्रभावित होती है।

भारत में आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में यह अकसर देखा गया है कि सुरक्षा बलों एवं पुलिस द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन की गहन चीरफाड़ की गई लेकिन मीडिया ने आतंकवाद की पृष्टिभूमि, उसके जन्म, विकास एवं प्रभाव को नज़रअंदाज कर दिया। 17 फरवरी, 1998 को जस्टिस पी0बी0 सावंत ने इसी परिप्रेक्ष्य में मीडिया स मानवाधिकार उल्लंघन के इन गम्भीर पहलुओं पर ध्यान देने की सिफारिश की।[14,15]दुर्भाग्यवश वास्तविकता तो यह है कि ऐसे मुद्दे चौंकाने वाली खबरें नहीं हैं, अंततः छोड़ दिये जाते हैं। कभी–कभी तो यह भी होता है कि मीडिया इस दुविधा में पाया जाता है कि समाज के शक्तिशाली वर्ग द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन से किसको रिपोर्ट दी जाय।

इसकी वजह यह भी है कि मीडिया ऐसी स्थिति में दोनों तरफ से असुरक्षा एवं आक्रमण का शिकार होता है, विशेषकर आतंकवाद,

गृहयुद्ध एवं हिंसात्मक आंदोलनों की रिपोर्ट में, जिसमें पीड़ित व आक्रमणकारी दोनों पक्ष मीडिया को ही दोषी ठहराते हुए उस पर आक्रोशित होते हुए मीडिया को नुकसान पहुँचाते हैं, मीडियाकर्मियों से मारपीट, हिंसा तथा दुर्व्यवहार किया जाता है। इस कठिन परिस्थिति के बीच भी मीडिया द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय ही हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मीडिया के सतर्क तथा संवेदात्मक मानव अधिकारों की प्रतिरक्षा के प्रयासों की सराहना की है। मानवाधिकार आयोग ने यह भी स्वीकार किया कि उस लगभग 30प्रतिशत गम्भीर हनन के प्रकरणों की प्रथम जानकारी मीडिया के माध्यम से ही मिलती है।

मानव अधिकारों की सर्वव्यापकता के आदेश को अधिक समतावादी, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की समानता को सतत प्रयासों द्वारा पोषित करने में इलेक्ट्रानिक तथा प्रिन्ट मीडिया की भूमिका अति सकारात्मक तथा गुणात्मक हो गयी है। आज मीडिया हनन के प्रत्येक मामले की तह में जाकर घटना के विभिन्न आयामों पर विभिन्न तर्कों एवं दृष्टिकोणों को प्रकट कर रही है और गुण–दोष के आधार पर घटना का विवेचन कर आयोग की मदद कर रही है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रतिमाह आयोग के कार्यों और मानवाधिकार संरक्षण में उसकी प्रशंसनीय भूमिकाओं से सम्बन्धित रिपोर्टों को प्रकाशित कर जन जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। रेडियो, आकाशवाणी, टी0वी0 चैनलों के माध्यम से समय–समय पर ह्यमून राइट्स वाचजैसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इस प्रकार प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया दोनों मिल कर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अपनी रचनात्मक भागीदारी निभा रहे हैं तथा मानवाधिकारों की प्रतिरक्षा में सतर्क तथा संवेदनात्मक प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि कि संचार माध्यमों (मीडिया) की भी अपनी समस्याएँ व सीमायें हैं, इसके बावजूद भी मीडिया की भूमिका प्रशंसनीय रही है।

जनता में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मानवाधिकार सम्बन्धी विषयों पर परिचर्चा एवं उनसे निपटने के लिए रक्षात्मक कदम उठाने जैसे विषयों पर मीडिया ने काफी कार्यक्रम आयोजित किए हैं। महिलाओं पर अत्याचार, उनके उत्पीड़न, उन पर घरेलू हिंसा, वेश्यावृत्ति, बाल व बंधुआ मजदूरी, रिफ्यूजी दंगों से पीड़ित लोगों, शरणार्थियों, बलात्कार व व्यभिचार जैसे मुद्दों ने पूरा ध्यान दिया क्योंकि इन्हीं से सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत पर हमला होता है। पारिवारिक हिंसा, एड्स, सरकारी संस्थाओं द्वारा नागरिकों के उत्पीड़न, पुलिस, धार्मिक अंधता व राजनैतिक हमलों जैसे मानवाधिकार हनन के विषयों को भी मीडिया ने संवेदना से उठाकर जनजागरूकता के साथ समाज को न्याय भी दिलाया है। आगे भी मीडिया द्वारा ऐसा प्रयास वांछित है।

जहाँ यह बात संतोष की है कि भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है, वहीं यह बात भी कम चिंता की नहीं है कि इस जागरूकता के बावजूद पूरे विश्व में मानवाधिकारों के हनन का क्रम जारी है। विकसित देशों–अमरीका और ब्रिटेन आदि– में नागरिक अधिकारों की रक्षा और निगरानी के लिए विभिन्न नामों से अनेक संस्थाएं कार्यरत हैं। भारत में अधिकतर राज्यों में मानवाधिकारों आयोगों की स्थापना हो चुकी है। अमरीका की 'एशिया ब्रांच' नामक संस्था ने पिछले वर्षों में भारत–सहित एशिया के अन्य देशों में मानवाधिकारों की स्थिति का अध्ययन किया। ब्रिटेन की एमनेस्टी इंटरनेशनल भी काफी सक्रिय है। किन्तु सबसे अधिक खेद की बात यह है कि नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यरत अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अधिकांश अवसरों पर अपने–अपने देशों की राजनीति का अस्त्र बन जाती है, परिणामतः उनकी कार्यशेली तथा ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगा जाता हैं।[16,17,18,19,20]

क्या मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित संस्थाओं अथवा आयोगों की स्थापना–मात्र से दिन–पर–दिन गभीर होती जा रही है। इस समस्या का समाधान होगा ? यह प्रश्न उस स्थिति में और भी महतत्वपूर्ण हो जाता है, जब हम ऐसे आयोगों और संस्थाओं की कारगुजारियों और उनकी उपलब्धियों पर दृष्टिपात करते हैं। इन कारगुजारियों का एक संक्षिप्त–सा जायज़ा भी हमें यह बताने के लिए पर्याप्त है कि ये संस्थाएं समाज को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक तो कर रही हैं, किन्तु समाज में बढ़ती हुई हिंसा के सामने बेबस हैं और उनके पास प्रतिकूल परिरिस्थितियों से लोहा लेने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। ये प्रचार तो कर सकती हैं, किन्तु हिंसा के दानव को लाचार नहीं कर सकतीं।

क्योंकि समाज में अन्याय और अत्याचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि सीमित अधिकारों वालें आयोग अथवा नैतिक अपीलों को दोहराये जानेवाली संस्थाएं इन्हें उखाड़कर फेंकने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। इस क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए कानून, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सामाजिक संस्थाओं में बेहतर एवं प्रभावी तालमेल की अति आवश्यकता है। कोई एक आयोग विचार–गोष्ठियाँ करने, सुझाव देने या संस्तुतियां करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाएगा। आयोग को सहयोग देने के लिए जब तक सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के सभी क्षेत्र आगे नहीं आएंगे, जब तक अच्छे और संतोषजनक परिणाम सामने अपने मुश्किल है।

ऐसे में मानवाधिकार आन्दोलन को पहचान, प्रसार और महत्व प्रदान करने में मीडिया के अतिरिक्त कोई और माध्यम नहीं हो सकता। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन की रक्षा, सुरक्षा और उसके संवर्धन के लिए उठाये जा रहे कदमों को प्रमुखता से प्रकाशित करके जनसाधारण में चेतना जागृत करने का कार्य किया। समाचार पत्रों में मानवाधिकार की जगह का अध्ययन करते समय यह संतोष करने वाले तथ्य सामने आये हैं कि समाचार पत्रों ने अपनी भूमिका का ठीक–ठाक निर्वहन किया।

यह भी संतोषप्रद है कि समाचार पत्रों ने अपनी भूमिका के द्वारा यह भी तय करना सुनिश्चित किया है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं के विरूद्ध राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय विधियों के अन्तर्गत क्या कार्यवाही हो सकती है।

अध्ययन के पश्चात् यह भी निष्कर्ष निकला कि समाचार पत्रों ने अपरोक्ष रूप से मनुष्य के भीतर उसके अधिकारों को जानने और उसके अधिकारों को पाने की ललक पैदा किया है और इसे दूरगामी परिणाम देने वाला कदम माना जाना चाहिए। लेकिन सामाचार पत्र आतंकवादी संगठनों और उनसे जुड़े लोगों के साथ कभी–कभी दिखाई देता है, जिससे एक भ्रम की स्थिति यह दिखाई देती है कि मनुष्य के जीवन के हक को छीन लेने वाले आतंकवादियों की पैरवी करने वाले संगठनों को प्रमुखता से स्थान देकर कही न कहीं समाचार पत्र ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले भी मानवाधिकार के नाम पर अपने अनैतिक एवं मानव विरोधी कृत्यों पर मुहर लगवाने में फौरी तौर पर सफल हो जा रहे हैं। इसलिए समाचार पत्र मानवाधिकार और इसका उल्लंघन करने वाले तत्वों चाहें वह राज्य सत्ता हो या आतंकी संगठनों की सत्ता, इनके मध्य विभाजक रेखा नहीं खींच पा रहे हैं। इससे मानवाधिकारों के हनन करने वालों को तलाशने में असुविधा हो रही है, फिर भी संतोषजनक बात यह है कि समाचार पत्र जन–जागरण का कार्य प्रभावी ढंग से कर रहे हैं।

अध्ययन के पश्चात् यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि समाचार–पत्रों की अपने भीतर कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है। जैसे–समाचार पत्रों को चाहिए मानवाधिकार हनन् करने वाले सत्ताओं को पाठकों से समक्ष लाये, साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि इन के रहते हुए भी मानवाधिकार हनन हो रहा है।

निश्चित रूप से इसके लिए समाचार–पत्रों को वैचारिक दबावों से मुक्त होना पड़ेगा। मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता निचले स्तर तक बढ़ानी पड़ेगी। आज सूचना–प्रौद्योगिकी में क्रान्ति के फलस्वरूप आज नयी प्रौद्योगिकी के द्वारा भी मानवाधिकारों के हनन् की घटना दिन–बदिन नये ढंग व रूप में सामने आ रही है। इसके लिए मानवाधिकार आयोग व जनपद स्तर पर न्यायिक अधिकारता में वृद्धि करके उनके निर्णय को बाध्यकारी बनाना होगा। इसके लिए समाचार पत्रों को ईमानदारी बरतनी होगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात शोध के दौरान यह निष्कर्ष सामने आयी कि आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा भी मानव अधिकार हनन के मुद्दे सामने आ रहे हैं, यह बड़ी गम्भीर बात है। इसके लिए समाचार पत्रों के उपर दोहरी जिम्मेदारी है कि वह जागरूक भी करे और मानवाधिकार हनन के मामलों को ज्यादा से ज्यादा पाठकों के समक्ष लाये।

संदर्भ ग्रन्थ

1. बसु, डी.डी.–भारतीय संविधान–पेज नं. 44
2. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम–1993 –भारत सरकार
3. बतरा, मंजुला–प्रोटेक्शन आफ ह्यामून राइट्स इन क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन–पेज नं. 36
4. सुब्रहमण्यम आई.पी.एस., डॉ.एस. –ह्यूमन राइट्स एण्ड पुलिस –पेज नं. 11
5. कृष्ण अय्यर, जस्टिस बी.आर. ह्यूमन राइट्स एण्ड इनह्यूमन रांग –पेज नं. 06
6.मिश्रा आई.पी.एस., श्री एस.पी. –आउट काई आफ ब्रुटीलिटी –पेज नं.10
7. चौधरी, रेखा –द चैंजिंग डिस्कोर्स ऑन ह्यूमन राइट्स –पेज नं. 21
8. सिंह सहगल, वी.पी. –ह्यूमन राइट्स इन इण्डिया –पेज नं. 19
9. घोष, एस.के.–व्हाट इज द पुलिस फॉर ? – पेज नं. 08
10. मारवाह, वेद–अनसिविल वार्स –पेज नं. 42
11. शाह, डॉ. गिरिराज–इमेज मेकर्स –पेज नं0 22
12. मलिक, भोलानाथ –पुलिस : एक दार्शनिक विवेचन –पेज नं. 28
13. वोहरा, आई.पी.एस., भूषण लाल–मानवाधिकार और पुलिस बल –पेज नं. 102
14. सेन, शंकर–ह्यूमन राइट्स : ए पर्सपेक्टिव – पेज नं. 62
15. विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित मानवाधिकारों के आलेख
16. नाथ, डॉ. केदार–मानवधिकारों के सन्दर्भ में समाचार पत्रों की भूमिका–शोध ग्रन्ध पेज नं.–179
17. नाथ, डॉ. केदार–मानवधिकारों के सन्दर्भ में समाचार पत्रों की भूमिका–शोध ग्रन्ध पेज नं.–181
18. नाथ, डॉ. केदार–मानवधिकारों के सन्दर्भ में समाचार पत्रों की भूमिका–शोध ग्रन्ध पेज नं.–185
19. नाथ, डॉ. केदार–मानवधिकारों के सन्दर्भ में समाचार पत्रों की भूमिका–शोध ग्रन्ध पेज नं.–186
20. नाथ, डॉ. केदार–मानवधिकारों के सन्दर्भ में समाचार पत्रों की भूमिका–शोध ग्रन्ध पेज नं.–191

डॉ. केदार नाथ

M.A. (Eng.), Dip. In Photography , Ph-D. (Journalism & Mass Communication) .

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- ✶ International Scientific Journal Consortium
- ✶ OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.org